

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री

अनवान आसरीक सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि पत्र

प्रकरण संख्या 03 / 2012 अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
10 11/23	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द कि जाती है। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द हो चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने वाद बिन्दु को साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया है। लिहाजा वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि तौकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफुतर हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर



श्री करणपुर श्री हरगो
ओ तहसील श्रीकरणपुर

गुरदेव सिंह उर्फ भोल
2 ओ तहसील श्रीकरण
सरवन सिंह पुत्र श्री
तहसील रायसिंहनगर

राजस्थान सरकार ज

गोमानजी,
वाद-पत्र वादी
यह कि वादी एवं प्र
यह कि वादी एक
अपने परिवार की अ
श्रीकरणपुर के खात
किला नं. 1 ता 4 व
हैक्टर, किला नं. 7
प्रत्येक 0.190 हैक्टर
नं. 22/1 व 25/
भूमि दर्ज कागजात
संख्या 1 के नाम 0
नहरी कृषि भूमि बत
जमाबन्दी खतौनी
3. यह कि उपरोक्त मु
मु0 नं0 45 के कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री

अनवान आगरीक सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि

प्रकरण संख्या..... 03 / 2012 अन्तर्गत धारा..... 88/188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
10 11/23	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द कि जाती है। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द हो चुकी है। वादी व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने वाद बिन्दु को साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया है। लिहाजा वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/188 RTA अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि बौकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफुतर है।</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर